न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 61/2023/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 18.12.2023
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

ओमप्रकाश बलाई आत्मज डेगराज जाति बलाई निवासी बोरखण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

...
अपीलार्थी

बनाम

उप जिला मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश बलाई अपीलार्थी
पेरोकार सरकार रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डोली (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक आर्म्स/19/291 दिनांक 24.1.2019 उत्तराधिकार के आधार पर नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने टोपीदार बन्दूक का नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र (उत्तराधिकार) जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डोली के यहां प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश कमांक आर्म्स/19/291 दिनांक 24.1.2019 से खारिज किये जाने पर अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलाधीन आदेश मे शस्त्र अनुज्ञापत्र नही देने का कोई कारण अंकित नही किया गया। अपीलार्थी से लोक शांति की सुरक्षा का कोई खतरा नही है, अपीलार्थी विकृत चित भी नही है व स्वस्थ है। तहसीलदार एवं पुलिस की कथित मिथ्या रिपोर्ट जिसकी जानकारी अपीलांट को नही है, उस पर भरोसा कर अवैधानिक रूप से प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृति न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। प्रार्थी बून्दी शहर में हम्माली का कार्य करता है। वर्ष 2006–2011 में होमगार्ड में नियुक्त रहा है। प्रार्थी उत्तराधिकार के रूप में अपने पूर्वजो की बन्दूक को अपने नाम करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है अपील स्वीकार कर प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 व जरिये नोटिस आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

Court of the अज अदालत .... आदेश .... 11 .... ६-n(०)५७

3 अपीलार्थी ने दिनांक 20.5.2024 से स्वयं उपस्थित होकर अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए उत्तराधिकार के आधार पर नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

4 पेरोकार सरकार ने उपखण्ड मजिस्टेट्र हिण्डोली का आदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुए अपील खारिज करने का अनुरोध किया ।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डोली द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र (उत्तराधिकारी) जारी किये जाने सबंधी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सबंध में थानाधिकारी दबलाना व पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 कोटा व तहसीलदार हिण्डोली से रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी दबलाना ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 621 दिनांक 8.2.2018 में अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नही है, अंकित किया है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. कोटा ने अनुज्ञा पत्र की कोई आवश्यकता नही होना अंकित किया है तथा तहसीलदार हिण्डोली ने भी अपनी रिपोर्ट में शस्त्र, अनुज्ञा पत्र की कोई विशेष आवश्यकता नही होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का आवेदन पत्र वास्ते नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र (उत्तराधिकारी) आदेश क्रमांक आर्म्स/19/291 दिनांक 24.1.2019 से खारिज किया है। जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा